न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 001/2010/223 आर टी ए

1. रतनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
2. कृष्णदत पुत्र श्रीरामचन्द्र जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सादुलशहर।
3. पारी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सादुलशहर।
4. कृष्ण पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
5. जगदीश पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
6. गिरधारी पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
7. विधा पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
8. सिलोचना पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
9. इन्द्रा पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी 22 एजी तहसील रावतसर।
10. ओमप्रकाश पुत्र बेगाराम जाति जाट।
11. पृथ्वी पुत्र बेगाराम जाति जाट।
12. आत्माराम पुत्र बेगाराम जाति जाट।
13. धाई बाई बेवा बेगाराम।
14. मेहिनी पुत्री बेगाराम।
15. चन्दो पुत्री बेगाराम।
16. रामेश्वरी पुत्री बेगाराम।
17. भैराराम पुत्र सुखाराम।
18. हेतराम पुत्र सुखाराम।
19. मनीराम पुत्र सुखाराम।
20. सरस्वती पुत्री सुखाराम।
21. रामप्यारी पुत्री सुखाराम।
22. विधादेवी पत्नि स्व. सहीराम।
23. गणेशाराम पुत्र सहीराम।
24. ओंकार पुत्र सहीराम।
25. विमला पुत्री सहीराम।
26. गायत्री पुत्री सहीराम।
27. हीरा पुत्री सहीराम।

––अपीलांट

बनाम

1. भीमसैन अभिकथित दत्तक पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर।
2. इमरती पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सादुलशहर।
3.

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 126/2007 अनवानी कृष्णदत आदि बनाम भीमसैन

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस
श्री महेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः—11.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए का पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांट का वाद खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दीपा की तीनो पुत्रियां खेतू, शेरा, नाथी फौत हो चुकी है जिनके वारिसान वादीगण है। खेतू के वारिसान वादीगण सं. 1 व 2, शेरा के वारिसान वादीगण सं. 4 ता 10 है, नाथी के वारिसान वादीगण सं. 11 ता 17 है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की थी। वादीगण ने यह स्पष्ट अंकित किया है कि दीपाराम ने लाभूराम को बतौर दत्तक पुत्र ग्रहण किया था परन्तु प्रतिवादी सं0 1 को मृत लाभूराम का खोलायत पुत्र होने से इन्कारी की थी। तो प्रतिवादी को यह सिद्ध करना था कि वह लाभूराम का खोलायत पुत्र है परन्तु यह सिद्ध करने मे पूर्णत विफल रहा। प्रतिवादी द्वारा कतई सिद्ध नही किया। क्योंकि धारा 15एएए (3)(2क) के अन्तर्गत जो तहसीलदार रावतसर का आदेश दिनांक 10.09.2002 था जिसके द्वारा प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना बताय है प्रथमतः तो अपीलांट इस प्रकरण मे पक्षकार ही नही थे इसलिये उक्त निर्णय अपीलांट पर विबन्धित नही है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिपत्र क्रमांक 5(5)राज—6/2001 दिनांक 11.08.2005 की मद सं. 4 मे धारा 15एएए(2क) के तहत पूर्व मे तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह अंकित किया है कि उक्त परिपत्र के संबंध मे राजस्व मण्डल के निर्णय से पूर्व तहसीलदार ने भू अभिलेख के आधार पर जमाबंदी मे कोई संशोधन किया है उस हद तक तहसीलदार का आदेश उचित कहा जा सकता है परन्तु यदि खातेदारी अधिकार के संबंध मे कोई आदेश पारित किया है तो वह विधिक प्रावधानो के

विरूद्ध है। मौजूदा प्रकरण मे भी जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 मे दीपा के नाम की थी जिसमे उसके समस्त वारिसान तीनो पुत्रिया एवं खोलायत पुत्र लाभूराम को सिलिंग सीमा को देखते हुए प्रश्नगत भूमि मे खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते थे।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रावतसर के निर्णय 10.09.02 से प्रतिवादी रेस्पो0 सं. 1 को खातेदारी मिलने के कारण तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय बहक प्रतिवादी रेस्पो0 सं. 1 किया है। परन्तु तहसीलदार रावतसर का निर्णय दिनांक 10.09.02 प्रभाव मे नही रहा है इसलिये इस निर्णय के आधार पर जारी सनद भी स्वतः ही निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 11.08.2005 एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयो मे प्रतिपादित सिद्धांतो की कतई अनदेखी कर अवैधानिक तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट या मृतक खेतू, शेरा, नाथी आदि का कब्जा काश्त कभी भी नही रहा तथा ना ही वर्तमान मे है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे जहां कही भी दीपा वल्द हिमता का नाम दर्ज है वह गलत दर्ज है क्योंकि मृतक दीपा मृतक लाभू का दत्तक पिता था तथा दोनो साथ साथ रहते थे तथा साथ साथ रहने के कारण ही उक्त भूमि मे दीपा का नाम दर्ज हुआ जबकि उक्त भूमि को मृतक दीपा वल्द हिमत ने भी काश्त नही की तथा ना भूमि की रकम भरी तथा उक्त भूमि दीपा वल्द हिमता की नही है। बल्कि लाभू वल्द मूला की है। उक्त भूमि पर सम्वत 2010 से भी पूर्व से लेकर लाभू के फौत होने तक भूमि पर लाभू का कब्जा रहा। उक्त भूमि पूर्व 55 की आराजी काश्त की भी थी तथा लाभूराम के फौत होने के बाद उक्त भूमि पर प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 लाभू के दत्तक पुत्र का कब्जा

काश्त रहा तथा उक्त भूमि का अन्तर्गत धारा 15एएए(2क) आरटीए का निर्णय दिनांक 10.02.02 को हुआ जिसमे भी रेस्पो0 सं. 1 को उक्त आराजी का हकदार माना तथा प्रतिवादी के नाम से ही खातेदारी मिली। अपीलांट को उक्त निर्णय के खिलाफ अपील मे जाना चाहिये था। अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे भी दिनांक 16.02.2016 को निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज कर दी और उक्त निर्णय मे भी रेस्पो0 सं. 1 को 15एएए के तहत प्राप्त खातेदारी अधिकारो की सही माना गया। इस प्रकार अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रति निर्णय अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर निर्णय मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि जो पूर्व मे इनके नाना दीपाराम की थी। दीपाराम की तीन पुत्रियां खेतू, शेरा, नाथी तथा लाभूराम उसका दत्तक पुत्र था। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी को प्रत्येक का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करवाने का अनतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जमाबंदी सम्वत 55 से 58, 59 से 62 मे भी लाभूराम आराजी काश्त पूर्व का दर्ज कागजात साबित माना तथा तहसीलदार

रावतसर के निर्णय दिनांक 10.09.02 को सही माना गया। फिर भी वादीगण को उक्त निर्णय से आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिऐ थी। वादीगण ने व उनकी माताओ ने जब भूमि लाभूराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई तो उसके विरूद्ध भी किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खातेदारी बाबत अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 16.02.2016 को खारिज किया जा चुका है। अपीलांट न तो उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष अपने वाद को साबित किया और न ही अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर के समक्ष अपील को साबित किया। हस्तगत प्रकरण मे भी अपीलांट अपील को साबित करने मे असफल रहे है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत रूप से पारित निर्णय मे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ